राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र.:–एफ4(5)ग्रावि–3/नरेगा/09–10 जयपुर, दिनांक: 17 SEP 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **मस्टररोल, माप पुस्तिका, स्टॉक रजिस्टर, जॉब कार्ड एवं रोकड बही में संशोधन करने संबंधी।**

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने जिलों में नरेगा कार्यों एवं रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान यह पाया है कि कई स्थानों पर मस्टररोल में श्रमिकों के नाम व क्रमवार अंकित की गई उपस्थिति के कालम में, माप पुस्तिकाओं में एवं नरेगा रोकड बहियों में सफेद स्याही लगाकर काट–छाट की गई है। आपको विदित ही है कि यह बहुमूल्य स्थायी भुगतान दस्तावेज है एवं इस में कांट–छांट होने पर उसका भुगतान नही किया जाता है एवं वह फर्जकारी किये गये रेकार्ड (Tampering) की श्रेणी में आ जाती है एवं ऐसा करने पर दण्ड संहिता अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

अतः यदि लिखने में कोई त्रुटि हो गई है तो पूर्व लेखन को वर्तुल (Encircle) कर उसके ऊपर दूसरा सही लेखन इस प्रकार करें कि पूर्व गलत एवं पश्चात सही अंकन दोनों ही दिखते रहे एवं त्रुटि सही करने वाला कर्मचारी/मेट दिनांकित अपने लघु हस्ताक्षर मय नाम भी अंकित करे। इस संबंध में आप अपने अधीनस्थ समस्त विकास/ कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक, ग्राम सेवक एवं रोजगार सहायकगण को अवगत करावे कि ऐसे उक्त दस्तावेज जिसमें सफेदा स्याही लगाकर पूर्व अंकन को छिपाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उक्त मस्टररोल पर Pass Order लगावे। इसी के साथ पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त ग्राम सेवक, रोजगार सहायक एवं मेटों को इस सम्बन्ध में निर्देशित करे कि मस्टररोल में कांट–छांट तथा सफेद स्याही का उपयोग नही करे। **मस्टररोल में श्रमिकों के नाम व उपस्थिति के कालम में यदि सफेद स्याही का उपयोग किया जाकर काट–छाट की गई है तो ऐसी मस्टररोल का भुगतान नही किया जावे तथा जो मेट मस्टररोल में ऐसा कर रहा है उसको तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के सदैव के लिए ब्लैकलिस्ट कर हटा दिया जावे।**

भवदीय

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस